



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022023-243737
CG-DL-E-18022023-243737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944

No. 714]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 744(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5731(अ) दिनांक 08 दिसंबर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 907A के कि.मी. 13/800 से कि.मी. 14/00 (नाहन खंड) तक के भूखंड के बीच क्षतिग्रस्त हिस्से के लिए मेटलाइजिंग, टैरिंग सहित चौड़ीकरण के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13 दिसंबर 2022" को "अमर उजाला" और "दि ट्रिब्यून" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में NH907A के कि.मी. 13.8 से कि.मी.14 (नाहन खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: सिरमौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नाहन				
	गांव का नाम: शिल्ली शनाड़ी (56)				
1	383/199	निजी	नाकाबिल जंगल झाड़ी	0.1391	कुल भाग (110784) विक्रम सिंह, हुसन सिंह भाग बराबर (19576) भाग पुत्र व राजेन्द्र सिंह (8252) भाग पुत्र भगत राम पुत्र बीर सिंह अतर सिंह पुत्र बीर सिंह पुत्र काला (13365) भाग पदम सिंह, महिपाल सिंह भाग बराबर (10506) भाग पुत्र व सतपाल सिंह (3837) भाग पुत्र अतर सिंह पुत्र बीर सिंह बाबू राम पुत्र जीवन सिंह पुत्र नामालूम (55248) भाग स्थानीय वासी। ()
			कुल	0.1391	

[फा. सं. RO/HP/Works(274)/2022-23/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 744(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 5731(E) dated 8th december 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for widening including metalling, tarring for the damaged portion on NH 907A in the stretch of land from Km. 13/800 to Km. 14/00 (Nahan Section) in the district Sirmour in the State of Himachal Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “*the Tribune*” both dated 13-12-2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 13/800 to 14/00 (Nahan Section) on the National Highway No. 907A in the district of Sirmour in the state of HIMACHAL PRADESH.

State: HIMACHAL PRADESH			District: Sirmour		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nahan				
	Village: Shilli Sanari (56)				
1	383/199	Private	Nakabil Jungle Jhadi	0.1391	Total share(110784) Bikram Singh, Husan Singh(19576) share sons and Rajender Singh (8252) share son of Bhagat Ram S/o Bir Singh Atar Singh S/o Beer Singh S/o Kala (13365) share Padam Singh, Mahipal singh(10506) share sons and satpal Singh (3837) share s/o Atar Singh S/o Beer Singh Babu Ram S/o Jeevan Singh(55248) local residents share
			TOTAL	0.1391	

[F. No. RO/HP/Works(274)/2022-23/3D]

RAJESH GUPTA, Director